



पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01-06-2021

दिनांक 31/01-06-2021 को रात्रि थाना मड़ियांव 01, गोमतीनगर विस्तार 05 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार

थाना पीजीआई:-दिनांक 31-05-2021 को एस0आई0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना पीजीआई द्वारा अभियुक्त 01-अनिल पुत्र दयाराम निवासी बंगाली खेड़ा, बाबू खेड़ा कोठी थाना पीजीआई लखनऊ 02-करन पुत्र औसान निवासी बाबू खेड़ा कोठी थाना पीजीआई लखनऊ को बंगाली खेड़ा न्यू प्लाटिंग एरिया के पास पीजीआई से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से को दो प्लास्टिक की पिपिया में करीब 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना पीजीआई पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

थाना मोहनलालगंज:-दिनांक 31-05-2021 को एस0आई0 श्री राजवीर सिंह थाना मोहनलालगंज द्वारा अभियुक्ता 01-श्रीमती रामेश्वरी पत्नी स्व0 सुशील निवासी ग्राम केसरी खेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ को ग्राम केसरी खेड़ा, मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक के पिपिया में 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना नगराम :-दिनांक 31-05-2021 को एस0आई0 श्री प्रेमलाल सिंह थाना नगराम द्वारा अभियुक्त 01-प्रकाश पुत्र स्व0 कल्लू निवासी ग्राम खवासखेड़ा थाना नगराम लखनऊ को ग्राम टावपुरा मोड़ ग्राम खवासखेड़ा, नगराम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना मड़ियांव:-दिनांक 01-06-2021 को थाना मड़ियांव द्वारा बताया गया कि वादी श्री सर्वेटा कुमार वर्मा पुत्र स्व0 चिरौजी लाल निवासी ग्राम फरूखाबाद पोस्ट सैरपुर थाना मड़ियांव लखनऊ ने थाना मड़ियांव पर सूचना दिया कि दिनांक 01-06-2021 को वादी का पुत्र अमित उम्र करीब 19 वर्ष अपने घर से टंटापुर गांव में दावत में जा रहा था कि जैसे ही धनटयाम पुत्र सतनू निवासी ग्राम पूरबगांव थाना मड़ियांव लखनऊ के चक मार्ग पर आर्या भट्टे के पास भट्टे द्वारा अत्याधिक ऊर्चाई तक मिट्टी डालने के कारण वादी का पुत्र

विद्युत 11000 केवी के तार की चपेट में आ गया, जिसके कारण वादी के पुत्र की करण्ट लगने से मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना मड़ियांव पर मु0अ0सं0 248/2021 धारा 340ए भादवि का अभियोग बनाम आर्या भट्टे के संचालक नाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री दिनेश प्रसाद थाना मड़ियांव द्वारा की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक थाना मड़ियांव द्वारा बताया गया कि मृतक कल दिनांक 31-05-2021 को रात्रि को सयम करीब 09.00 बजे अपने घर से निकला था, घर वालो को आज प्रातः मृत्यु की जानकारी हुई है।

NEWS MEDIA